HARI BHOOMI, Delhi, 28.6.2017
Page No. 1, Size:(10.64)cms X (23.59)cms.

सरकारी योजनाओं के लिए अब अक्टूबर से आधार जरूरी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार को अनिवार्य बनाने वाली सरकारी अधिसूचना पर अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों के पास अभी आधार कार्ड नहीं है, उन्हें सरकारी योजनाओं से वंचित नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने अपने 9 जून के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि इस मामले में इससे अधिक अवलोकन की जरूरत नहीं है। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 7 जुलाई निर्धारित की है।

■ केंद्र सरकार की अधिसूचना पर अंतरिम आदेश देने से इनकार

वहीं, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जिन लोगों के पास अभी आधार कार्ड नहीं हैं, उन्हें 30 सितंबर तक सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ लेने की छूट दी जा रही है। इससे पहले सरकार ने 30 जून की समयसीमा तय की थी। इसके मुताबिक, 30 जून के बाद सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार अनिवार्य किया जाना था। लेकिन, अब इसकी मियाद तीन महीने बढ़ा दी गई। मतलब, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अब लोगों को आधार कार्ड बनाने के लिए और तीन महीने की मोहलत मिल गई।